

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

आप.प्रक.क्रमांक-47/2015
संस्थित दिनांक-22.01.2015
फाई. क्र.234503000522015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

1. सोहनलाल मरकाम पिता अमरलाल, उम्र-30 वर्ष,
निवासी रेहगी थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट।
2. छन्नूसिंह उर्फ रवि मेरावी पिता रामा गोंड, उम्र-32 वर्ष,
निवासी करमसरा थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट।
3. इतवारी मरकाम पिता केशरसिंह, उम्र-23 वर्ष
निवासी रेहगी थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट।

— — — **आरोपीगण**

// **निर्णय** //

(दिनांक 27/03/2018 को घोषित)

01— अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379/34 का यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 09.01.2015 को 04:30 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत एच.सी.एल. साउथ गेट फेंसिंग के पास हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के आधिपत्य के लोहे के आईको वाल्व चोरी करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के आधिपत्य के लोहे के आईको वाल्व कीमत लगभग 40,000/-रूपये को अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी परमजीतसिंह की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी सोहन मरकाम, छन्नूसिंह मेरावी उर्फ रवि एवं इतवारी मरकाम द्वारा घटना दिनांक 09.01.2015 को 16:30 बजे हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखण्ड के

साउथ गेट एरिया तरफ मोटर सायकल क्रमांक एम.पी.50-एम.डी.-0993 में चोरी करने आये थे। आरोपीगण ने हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखण्ड से दो नग लोहे के वाल्व चार इंच कीमती 40,000/- रुपये हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखण्ड परिसर से चोरी करते हुए पकड़े गये। आरोपीगण से चोरी का मसरूखा दो नग लोहे के वाल्व चार इंच एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल जप्त की गई। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 01/15 दिनांक 17.01.15 को तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379/34 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्तगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक 09.01.2015 को 04:30 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत एच.सी.एल. साउथ गेट फेंसिंग के पास हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के आधिपत्य के लोहे के आईको वाल्व चोरी करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के आधिपत्य के लोहे के आईको वाल्व कीमत लगभग 40,000/-रुपये को अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की ?

—: विवेचना एवं निष्कर्ष :-

05— साक्षी परमजीतसिंह अ.सा.01 का कथन है कि वह दिनांक 09.01.2015 को कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखण्ड में मुख्य प्रबंधक सुरक्षा एवं संपत्ति के पद पर पदस्थ था। वह आरोपीगण को पहचानता है। दिनांक 09.01.15 को

आरोपीगण आटको वाल्व चोरी करते हुये साउथ गेट एरिया के पास पकड़े गये थे, फिर उन्होंने आरोपीगण को दो आटको वाल्व जो लोहे के थे और उनके पास एक मोटर साईकिल थी उसके सहित पुलिस थाना मलाजखण्ड लेकर गये थे, जिसके संबंध में उसके द्वारा पुलिस थाना मलाजखण्ड को प्रपी-01 का लिखित आवेदन दिया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रपी-1 के लिखित आवेदन पर पुलिस ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रपी-02 लेख किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्रपी-03 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06— साक्षी परमजीतसिंह अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटनास्थल कंपनी के साउथ गेट एरिया का है, माईन्स एरिया चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है और उनके उपर फेंसिंग लगी हुई है। दीवार की उंचाई 6 से 8 फीट की है। साक्षी के अनुसार अलग-अलग जगह पर अलग उंचाई है। फेंसिंग की उंचाई लगभग दो से ढाई फीट की है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि दीवार और फेंसिंग की टोटल हाईट 11 फीट हो जाती है। साक्षी के अनुसार दीवार के उपर लगी फेंसिंग को हटाकर ही सामान बाहर निकाला था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कंपनी के हर गेट पर सुरक्षा गार्ड रहते हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नजरी-नक्शा घटनास्थल देखकर बनाया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटनास्थल पुलिस को उसके द्वारा नहीं बताया गया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल साउथ गेट एरिया का है, बरगद के पेड़ के नीचे वाल्व नहीं रखा जाता है। साक्षी के अनुसार प्लांट के साईड स्टोर में रखा जाता है। वाल्व का वजन उसके अनुमान से लगभग 30-35 किलो होगा।

07— साक्षी परमजीतसिंह अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझावों को अस्वीकार किया है कि 30-35 किलो के वजन को उठाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। साक्षी के अनुसार एक व्यक्ति भी उठा सकता है। यह स्वीकार किया है कि जब आरोपीगण पकड़े गये थे तो वह मौके पर उपस्थित था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जितने भी कर्मचारी कंपनी में कार्य करते हैं उनका ड्यूटी का रजिस्टर मेन्टेन होता है, उससे पुलिस ने अधिकारी कर्मचारी के संबंध में कोई ड्यूटी रजिस्टर जप्त नहीं किया है। यह अस्वीकार किया है कि जिन लोगों के द्वारा आरोपीगण को पकड़ने की बात बताये है वह घटना दिनांक को ड्यूटी पर उपस्थित नहीं थे, इस कारण उसने कोई ड्यूटी रजिस्टर पुलिस को जप्त नहीं कराया। वह नहीं बता सकता कि कंपनी में आने वाले सामानों का उल्लेख स्टॉक रजिस्टर में किया जाता है या नहीं। यह स्वीकार किया है कि उससे पुलिस आटको वाल्व के संबंध में पुलिस ने स्टॉक रजिस्टर जप्त नहीं किये थे, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण को झूठा फंसाने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण तैयार कराया है।

08— साक्षी केशवलाल अ.सा.02 का कथन है कि वह आरोपीगण को घटना के समय से जानता है। वह दिनांक 09.01.2015 को वह मलाजखण्ड ताम्र परियोजना के मेन गेट पर ड्यूटी कर रहा था, उस समय उसके साथ शिवशंकर, मुन्नीलाल, राजेश भी ड्यूटी कर रहे थे। दिन के लगभग 04:30 बजे वह लोग गश्ती कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि आरोपीगण लोहे के वाल्व चोरी कर मोटर सायकिल से ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उन लोगों ने तीनों आरोपीगण को पकड़कर रखा, फिर उन लोगों ने तत्काल परमजीतसिंह साहब को सूचना दी। परमजीतसिंह साहब के आने पर आरोपीगण को मोटर सायकिल, लोहे के वाल्व सहित पकड़ कर थाना मलाजखंड लेकर गये थे। उसके सामने पुलिस ने आरोपीगण से पूछताछ नहीं की थी।

09— साक्षी केशवलाल अ.सा.02 के अनुसार मेमोरेण्डम प्रपी-04, प्रपी-05 एवं प्रपी-06 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने पुलिस ने आरोपीगण से दो लोहे के वाल्व और मोटर सायकिल जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी-07 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-08 से लगायत प्रपी-10 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी।

10— साक्षी केशवलाल अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह लोग आरोपी सोहन मरकाम, छन्नुसिंह एवं ईतवारी को पकड़कर थाने लेकर गये थे, उसके समक्ष आरोपी सोहनलाल ने प्रपी-04 के मेमोरेण्डम कथन में यह बताया था कि वह छन्नुसिंह एवं ईतवारी मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.डी.0993 में एच. सी.एल. मलाजखण्ड साउथ गेट के पास से दो लोहे के वाल्व लेकर आ रहे थे, तब उनको एच.सी.एल. गार्ड ने पकड़ लिया था, सोहन मरकाम ने मोटर सायकिल को अपनी होना बताया था, प्रपी-04 पुलिस ने तैयार की फिर उसने हस्ताक्षर किये थे, पुलिस को आरोपी छन्नुसिंह ने मेमोरेण्डम कथन प्रपी-05 में यह बताया था कि वह एवं सोहन तथा ईतवारी के साथ मिलकर मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.डी.-0993 एच.सी.एल. मलाजखण्ड के साउथ गेट फेंसिंग के पास दो नग लोहे वाल्व चोरी करते हुये एच.सी.एल. सुरक्षा गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया था।

11— साक्षी केशवलाल अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को भी स्वीकार किया है कि आरोपी ईतवारी ने उसके समक्ष प्रपी-06 के मेमोरेण्डम कथन में यह बताया था कि दिनांक 09.01.15 को वह, सोहन एवं छन्नु के साथ मिलकर मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.

डी-0993 एच.सी.एल. मलाजखण्ड के साउथ गेट फेंसिंग के पास से दो नग लोहे वाल्व चोरी करते हुये एच.सी.एल. सुरक्षा गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया था, मेमोरेण्डम प्रपी-04 से लगायत 06, जप्ती पत्रक प्रपी-07 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-08 से लगायत 10 की कार्यवाही किये जाते समय वह स्वयं मुन्नीलाल और साथियों के साथ उपस्थित था।

12— साक्षी केशवलाल अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटनास्थल कंपनी के साउथ गेट एरिया का है, माईन्स एरिया चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है दीवार की उंचाई लगभग आठ फीट होगी, फेंसिंग की उंचाई लगभग तीन फीट करीब है, फेंसिंग सहित कुल उंचाई 11 फीट की हो जाती है कंपनी के सामान साला पम्प एरिया में रखे जाते हैं, सामान साईड स्टोर में नहीं रखे जाते। साक्षी के अनुसार साईड स्टोर साला पम्प एरिया से लगा हुआ है, चोरी गये वाल्व का वजन लगभग 50 किलो से ऊपर होगा। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पचास किलो का वजन उठाने के लिये दो-तीन व्यक्ति की आवश्यकता होती है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उन्होंने आरोपीगण को चोरी करते हुये नहीं पकड़े थे।

13— साक्षी केशवलाल अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपीगण को गेट के पास मोटर सायकिल से ले जाते समय पकड़े थे, मोटर सायकिल दीवार के बाहर खड़ी थी, आरोपीगण को मोटर सायकिल के पास से पकड़े थे, अधिकारी कर्मचारी का ड्यूटी रजिस्टर होता है, जिस दिन वह काम पर रहता है तो उक्त का उल्लेख ड्यूटी रजिस्टर में होता है, उक्त रजिस्टर में वह हस्ताक्षर करता है, उसकी जानकारी में नहीं है कि पुलिस ने उपस्थिति रजिस्टर जप्त की या नहीं, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उन लोगों के द्वारा पुलिस को ड्यूटी रजिस्टर इसलिये नहीं दिया गया, क्योंकि वह लोग घटना दिनांक को उपस्थित नहीं थे। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि सामानों की जानकारी स्टॉक रजिस्टर में की जाती है या

नहीं। जब वह आरोपीगण और वाल्व को पुलिस थाने लेकर गये थे तो वहाँ वह लगभग आधा घंटे रुके थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने कार्यवाही करेंगे कहकर उनसे दस्तावेज में हस्ताक्षर करवा लिये थे।

14— साक्षी केशवलाल अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण से पूछताछ नहीं की थी, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि एच.सी.एल. कंपनी मलाजखण्ड में शिफ्ट वाईस ड्यूटी लगती है, प्रति सप्ताह ड्यूटी का समय भी बदल जाता है, ऐसा नहीं हुआ था कि उन लोगों ने घेराबंदी कर आरोपीगण को पकड़े थे, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उन्होंने आरोपीगण को फेंसिंग एरिया के अंदर से नहीं पकड़ा था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जो मोटर सायकिल पकड़ायी थी उसका नंबर उसे याद नहीं है, उसने पुलिस को मोटर सायकिल का नंबर नहीं बताया था यदि उक्त नंबर उसके पुलिस कथन में लिखा हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकता, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उन लोगों ने आरोपीगण को झूठा फंसाने के लिये झूठा मामला दर्ज करवाया था।

15— साक्षी मुन्नीलाल ठाकरे अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखण्ड में सुरक्षाकर्मी है। वह आरोपीगण को जानता है। घटना 09 जनवरी 2015 को साउथ गेट की है। वह ड्यूटी पर कर्मचारियों को शिफ्ट छोड़कर दूसरी शिफ्ट को लेकर साउथ गेट के पास आया। उसके साथ शिवशंकर, राजेश और केशव भी ड्यूटी कर रहे थे। दिन के करीब दो बजे की बात है उन्होंने देखा कि मोटर साईकिल खड़ी थी और आरोपीगण लोहे के वाल्व लेकर फेंसिंग की दीवार से कूद रहे थे फिर उन्होंने तीनों आरोपीगण को पकड़कर रखा जिसकी सूचना उन्होंने शिफ्ट इंचार्ज साहू साहब को दी और साहू साहब के द्वारा परमजीत साहब को सूचना दी गई।

16— साक्षी मुन्नीलाल ठाकरे अ.सा.03 के अनुसार आर.बी. साहू आये और आरोपीगण से मोटर सायकिल और लोहे के वाल्व सहित आरोपीगण को पकड़कर थाना मलाजखण्ड लेकर गये। पूछने पर आरोपीगण ने अपना नाम सोहनसिंह एवं छन्नूसिंह होना बताये थे तथा एक व्यक्ति का नाम उसे ध्यान नहीं है। पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण से पूछताछ नहीं की थी।

17— साक्षी मुन्नीलाल ठाकरे अ.सा.03 के अनुसार मेमोरेण्डम प्रपी-04, 05, 06 की कार्यवाही की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने पुलिस ने आरोपीगण से लोहे के वाल्व और मोटर सायकिल जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी-07 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-08, 09, 10 तैयार किया था, जिनके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपीगण को पकड़कर वह लोग थाने ले गये थे, मेमोरेण्डम कथन प्रपी-04, 05, 06 के अनुसार आरोपीगण से पूछताछ करने पर आरोपीगण ने उक्त जानकारी दी थी।

18— साक्षी मुन्नीलाल ठाकरे अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दोपहर के दो बजे की है, घटना शाम के 04:30 बजे की नहीं है। वह एच.सी.एल. में अस्थायी नियुक्ति पर ड्रायवर के पद पर है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को वह दिन में दो बजे ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को फायर बिग्रेड में लेकर टेलिंग डेम छोड़कर वहाँ पर तैनात और कर्मचारियों को लेकर वापस आ रहा था यदि उसके पुलिस कथन में उपरोक्त बातें न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता, उसने अपने पुलिस बयान प्रडी-01 में घटना का समय 04:30

बजे नहीं बताया था कैसे लिखा कारण नहीं बता सकता, घटना के पूर्व वह आरोपीगण को नहीं जानता था, वह एच.सी.एल. में गार्ड के पद पर नहीं है उसके पुलिस कथन में उपरोक्त बातें कैसे लिखी वह कारण नहीं बता सकता।

19— साक्षी मुन्नीलाल ठाकरे अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को भी स्वीकार किया है कि घटनास्थल साउथ गेट एरिया का है, माईन्स एरिया चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ है, दीवार की उँचाई लगभग आठ फिट होगी, दीवार के उपर फेन्सिंग लगी हुई है, फेन्सिंग की उँचाई दीवार से लगकर तीन फीट है, चोरी गया सामान साला पम्प एरिया में रखे जाते थे, साईड एरिया में नहीं रखे जाते थे, एक वाल्व का लगभग पचास किलो के ऊपर होगा, पचास किलो वनज को उठाने के लिये दो तीन व्यक्ति की आवश्यकता होती है, मोटरसाईकिल घटनास्थल के दूसरी ओर दीवार के उपर तरफ थी। मोटर साईकिल साउथ गेट एरिया के रोड पर थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मोटर साईकिल बरगद के पेड़ के नीचे नहीं थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि मोटर साइकिल के पास से पकड़े गये थे।

20— साक्षी मुन्नीलाल ठाकरे अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि एच.सी.एल. में सभी अधिकारी/कर्मचारियों का ड्यूटी रजिस्टर होता है, जिस दिन कर्मचारी या अधिकारी उपस्थित होते हैं उसमें उल्लेख होता है, उक्त रजिस्टर में साईन या हस्ताक्षर करते हैं। उसकी जानकारी में यह नहीं है कि उक्त उपस्थिति रजिस्टर पुलिस द्वारा जप्त किया गया था या नहीं।

21— साक्षी मुन्नीलाल ठाकरे अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को भी स्वीकार किया है कि जप्त किये गये मोटर साईकिल का नम्बर उसे नहीं पता, कौन सी मोटर सायकिल जप्त की गई थी उसे जानकारी

नहीं है, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर पुलिस ने थाने पर बुलाकर एक ही समय हस्ताक्षर करा लिये थे, एच.सी.एल. में आये सामानों का स्टॉक रजिस्टर रहता है, उक्त रजिस्टर में आये सामानों का उल्लेख होता है। चोरी गये सामानों का स्टॉक रजिस्टर में उल्लेख रहा होगा। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि स्टॉक रजिस्टर की जप्ती की गई थी या नहीं। उसका ड्यूटी का समय एक बजे से नौ बजे तक का था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को थाने जाने के संबंध में उसे उच्च अधिकारियों द्वारा कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया था। साक्षी के अनुसार उनके कार्यालय द्वारा भेजा गया था। वह थाने में आधा घण्टा रहा।

22— साक्षी राजेश धुर्वे अ.सा.04 का कथन है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक 09.01.2015 को साउथ गेट ऐरिया एच.सी.एल. मलाजखण्ड में केशवलाल, मुन्नीलाल और शिवशंकर के साथ ड्यूटी करते समय शाम करीब साढ़े चार बजे तीन लोगों द्वारा सामान चोरी कर ले जाते दिखायी देने पर उन चारों गार्ड ने घेराबंदी कर तीन चोरों को चार इंची दो नग लोहे के वाल्व चोरी कर ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, चोरों से नाम पूछने पर उन्होंने अपना नाम सोहनसिंह, छन्नूसिंह व इतवारी मरकाम बताया था, तार फेंसिंग के पास चोरों की मोटर सायकिल एम.पी.50/एम.डी-0993 खड़ी थी, जिससे आरोपीगण चोरी करने आये थे, तीनों चोरों को चोरी का माल एवं मोटर साइकिल सहित मुख्य प्रबंधक परमजीत सिंह के साथ थाना मलाजखण्ड लेकर गये थे, जहाँ रिपोर्ट दर्ज करायी थी। साक्षी ने उसका बयान प्र.पी-11 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिए न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

23— साक्षी राजेश धुर्वे अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह एच.सी.एल. मलाजखण्ड में सुरक्षा कर्मचारी है, माइंस एरिया चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है, दीवार की उँचाई छः से आठ फिट है, उन दीवारों के ऊपर दो-ढाई फिट उँचाई पर फेंसिंग तार लगी हुई है, माइंस एरिया में प्रवेश करने का स्थान मुख्य द्वार पर ही है, मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मी चौबीस घण्टे तैनात रहते हैं। उसे नहीं मालूम कि एक वाल्व का वजन तीस-पैंतीस किलो होगा। साक्षी के अनुसार पच्चीस से तीस किलो हो सकता है।

24— साक्षी राजेश धुर्वे अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जितने भी कर्मचारी एच.सी.एल. में कार्य करते हैं उनका प्रतिदिन का ड्यूटी रजिस्टर मेन्टेन होता है। उसकी दिनांक 09.01.2015 को टेलिंग डेम साईड में ड्यूटी लगी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके पुलिस बयान के अनुसार उसके समक्ष कोई घटना व कार्यवाही नहीं हुई थी।

25— साक्षी शिवशंकर ठाकरे अ.सा.05 का कथन है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और ना ही उसने पुलिस को कोई बयान दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक 09.01.2015 को साउथ गेट ऐरिया एच.सी.एल. मलाजखण्ड में केशवलाल, राजेश और मुन्नीलाल के साथ करीब साढ़े चार बजे फेंसिंग तरफ घूमते समय तीन लोगों द्वारा कुछ सामान चुराते दिखाई देने पर उन चारों गार्ड ने घेराबंदी कर तीन चोरों को चार इंच दो नग लोहे के वाल्व चोरी कर ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, चोरों से नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम सोहनसिंह, छन्नूसिंह व इतवारी मरकाम बताया था, तार

फेंसिंग के पास चोरों की मोटर सायकिल एम.पी.50/एम.डी.-0993 खड़ी थी, जिससे आरोपीगण चोरी करने आये थे, तीनों चोरों को चोरी का माल एवं मोटर साइकिल सहित मुख्य प्रबंधक परमजीत सिंह के साथ थाना मलाजखण्ड लेकर गये थे, जहाँ रिपोर्ट दर्ज करायी थी। साक्षी ने उसका बयान प्रपी-12 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिए न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

26— साक्षी शिवशंकर ठाकरे अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह एच.सी.एल. मलाजखण्ड में सुरक्षा कर्मचारी है, माईस एरिया चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है, दीवार की उचाई छः से आठ फिट है, उन दीवारों के उपर दो ढाई फिट उँचाई पर फेंसिंग तार लगी हुई है, माईस एरिया में प्रवेश का द्वार मुख्य द्वार ही है, मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मी चौबीस घण्टे तैनात रहते हैं, एक वाल्व का वजन तीस से पैंतीस किलो का हो सकता है, जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं उनका प्रतिदिन का ड्यूटी रजिस्टर मेन-टेन होता है, एच.सी.एल. में रखे सामानों का स्टॉक रजिस्टर भी मेन-टेन होता है। घटना दिनांक 09.01.2015 को उसकी ड्यूटी का समय सुबह छः बजे से दोपहर दो बजे तक था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके पुलिस बयान के अनुसार उसके समक्ष कोई घटना व कार्यवाही नहीं हुई थी।

27— साक्षी चित्रसेन ठाकरे अ.सा.06 का कथन है कि वह दिनांक 09.01.2015 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी परमजीत सिंह द्वारा लिखित शिकायत पत्र सहित माल मुलजिम पेश करने पर उसके द्वारा अपराध क्रमांक 04/15 अंतर्गत धारा-279, 34 भा.द.सं. कायम किया गया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर प्रार्थी के तथा बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाना प्रभारी महोदय के

आदेश से विवेचना में लिया गया।

28— साक्षी चित्रसेन ठाकरे अ.सा.06 के अनुसार उक्त दिनांक को विवेचना के दौरान प्रार्थी परमजीत सिंह की निशादेही पर घटनास्थल जाकर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी सोहनलाल मरकाम, छन्नूसिंह उर्फ रवि मरावी तथा इतवारी मरकाम के द्वारा गवाह मुन्नीलाल ठाकरे, केशवलाल देशमुख के समक्ष मेमोरेन्डम कथन लेख कराये गये थे, मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.04, 05 तथा 06 हैं, जिनके सी से सी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

29— साक्षी चित्रसेन ठाकरे अ.सा.06 के अनुसार उक्त दिनांक को ही गवाह मुन्नीलाल ठाकरे, केशव देशमुख के समक्ष आरोपीगण द्वारा चोरी का मशरूका पेश करने पर जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.07 तैयार किया गया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी सोहन मरकाम, छन्नूसिंह मरावी तथा इतवारी मरकाम को उक्त गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.08, 09 तथा 10 तैयार किया था, जिसके क्रमशः सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को उसके द्वारा प्रार्थी परमजीत, गवाह केशवलाल, चुन्नीलाल ठाकरे तथा दिनांक 16.01.2015 को गवाह राजेश धुर्वे एवं शिवशंकर ठाकरे के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। संपूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन उसके द्वारा थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

30— साक्षी चित्रसेन ठाकरे अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपीगण एवं चोरी गई वस्तु को परमजीत सिंह थाने में लेकर आये थे, चोरीशुदा वस्तु एच0सी0एल0 के स्वामित्व एवं कब्जे की है, एच0सी0एल0 एक सरकारी उपक्रम है और उसमें स्टॉक

रजिस्टर संधारित किया जाता है, उसके द्वारा विवेचना के दौरान कोई स्टॉक रजिस्टर एवं ड्यूटी रजिस्टर एच0सी0एल0 से जप्त नहीं किया गया है, माईन्स ऐरिया चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ है और दीवारों की उंचाई 8-9 फीट है, जिसके उपर फेंसिंग भी लगी हुई है, एच0सी0एल0 कंपनी के हर गेट पर सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं।

31— साक्षी चित्रसेन ठाकरे अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को भी स्वीकार किया है कि बिना स्टॉक रजिस्टर देखे वह यह नहीं कह सकता कि उक्त चोरीशुदा वस्तु एच0सी0एल0 के स्वामित्व एवं कब्जे की है, मेमोरेन्डम कथन सामान्यतः ऐसे प्रकरणों में तैयार किया जाता है, जिसमें चोरी गई वस्तु आरोपी के बताये अनुसार उसकी जानकारी से कोई वस्तु बरामद हो, प्रकरण में चोरीशुदा संपत्ति आरोपीगण के बताये अनुसार जप्त नहीं हुई थी।

32— साक्षी चित्रसेन ठाकरे अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्र.पी.04, 05 एवं 06 के दस्तावेज विधिक तौर पर सही तैयार नहीं हुये हैं, क्योंकि उक्त दस्तावेजों के आधार पर आरोपीगण के बताये अनुसार कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है, प्र.पी.01 लगायत प्र.पी.10 के दस्तावेजों में दोनों साक्षीगण के हस्ताक्षर एक ही समय में उसने करवा लिये थे, उसने गवाहों के बयान अपने मन से लेख कर लिये थे तथा उसने आरोपीगण को झूठा फंसाने के लिये यह प्रकरण तैयार किया है।

33— घटना के संबंध में प्रकरण में अभियोजन द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। साक्षीगण राजेश धुर्वे अ.सा.04 तथा शिवशंकर ठाकरे अ.सा.05 के अतिरिक्त सभी अभियोजन साक्षीगण ने घटना के संबंध में अखण्डनीय कथन किये हैं। परिवादी परमजीत सिंह अ.सा.01 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 के अनुरूप कथन किये हैं। सभी साक्षीगण ने अभियुक्तगण को घटनास्थल पर

जप्तशुदा वाहन के साथ पकड़ना व्यक्त किया है। बचाव पक्ष का मुख्य बचाव कंपनी के स्टॉक रजिस्टर को लेकर है। अभियुक्तगण को घटनास्थल से वाल्व के साथ पकड़ना सभी साक्षीगण ने अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में व्यक्त किया है। अभियुक्तगण द्वारा उक्त सामग्री कंपनी की होने के संबंध में कोई विवाद नहीं किया गया है तथा साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा तत्संबंध में प्रश्न भी पूछे गये हैं।

34— अब मात्र स्टॉक रजिस्टर तथा अन्य तकनीकी आधारों के आधार पर संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य को खारिज कर देना उचित प्रतीत नहीं होता। घटनास्थल से वाल्व के साथ अभियुक्तगण का मोटर सायकिल पर पकड़ना साक्ष्य से प्रमाणित है। अब सबूत का भार अभियुक्तगण पर था कि वह यह सिद्ध करे कि उनके पास कंपनी की कोई सामग्री नहीं थी, परंतु अभियुक्तगण तत्संबंध में पूर्णतः मौन है। उनके द्वारा न तो अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है और ना ही अपने परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द.प्र.सं. में तत्संबंध में कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की साक्ष्य से उक्त संबंध में कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्तगण घटनास्थल से कंपनी के वाल्व के साथ पकड़ाये थे, जो उनके द्वारा बेईमानी से ले जाने के आशय से कंपनी के आधिपत्य से बिना सम्मति के हटाई गई थी।

35— उपरोक्त विवेचना से अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 09.01.2015 को समय 04:30 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत एच.सी.एल. साउथ गेट फेंसिंग के पास हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के आधिपत्य के लोहे के आईको वाल्व चोरी करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के आधिपत्य के लोहे के आईको वाल्व कीमत लगभग 40,000/-रुपये को अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की। अतः

अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379/34 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

36— अभियुक्तगण द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु प्रकरण कुछ देर बाद पेश हो।

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

पुनःश्च—

37— दंड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। ऐसी स्थिति में उनके साथ नरमी का व्यवहार किया जावे।

38— बचाव पक्ष के तर्कों के आलोक में प्रकरण का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि दर्शित नहीं है। उनके द्वारा कारित अपराध अत्यधिक गंभीर नहीं है। तथापि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध को देखते हुए उन्हें उचित दण्ड दिये जाने की आवश्यकता है। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379, 34 के अपराध के लिये 06 माह के साधारण कारावास एवं 500-500/-(पांच-पांच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में प्रत्येक अभियुक्त को अर्थदण्ड की राशि के लिये 01 माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

39— प्रकरण में जप्तशुदा एक हीरो होण्डा मोटर सायकल क्रमांक एम.पी. 50-एम.डी-0993 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। उक्त सुपुर्दनामा

अपील अवधि पश्चात सुपुर्ददार के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

40— प्रकरण में जप्तशुदा दो नग लोहे की वाल्व आडको कंपनी को परिवादी कंपनी हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड को विधिवत प्रदान की जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

41— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

42— प्रकरण में विवेचना या विचारण के दौरान अभियुक्त छन्नूसिंह उर्फ रवि मेरावी दिनांक 10.01.2015 से दिनांक 16.01.2015 तथा दिनांक 28.08.2015 से दिनांक 12.04.2016 तथा दिनांक 08.11.2017 से आज दिनांक 27.03.2018 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है तथा अभियुक्तगण सोहन, इतवारी दिनांक 10.01.2015 से दिनांक 16.01.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहे हैं, इस संबंध में धारा-428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा। आरोपीगण के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को मूल सजा के कारावास में समयोजित किया जावे।

43— अभियुक्तगण को निर्णय की प्रतिलिपि धारा-363(1) द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही/—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही/—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)